[2021] 2 उम. नि. प. 146

खोकन उर्फ **खोखन विश्वास**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

[2021 की दांडिक अपील सं. 121]

11 फरवरी, 2021

न्यायमूर्ति डा. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302, 300, अपवाद 4 और धारा 304, भाग-I – हत्या या हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध – अभियुक्त और मृतक के बीच धन के लेन-देन के संबंध में कहा-सुनी के दौरान मृतक को धक्का देकर नीचे गिरा देना और उसके उदर पर खड़ा हो जाना – मृतक के उदर में पहुंची आंतरिक क्षतियों के कारण घटना के तीन दिन पश्चात् अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो जाना – अभियुक्त को हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जाना – जहां अभिलेख पर के साक्ष्य से यह साबित न होता हो कि अभियुक्त का आशय मृतक की मृत्यु कारित करना या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना था जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी और अभियुक्त का मृत्यु कारित करने के लिए कोई पूर्व-चिंतन भी दर्शित न हो तथा अपराध अचानक हुई लड़ाई में आवेश की तीव्रता में किया गया हो, वहां मामला धारा 300 के अपवाद-4 के अंतर्गत आने के कारण दोषसिद्धि को धारा 304, भाग-I के अधीन उपांतरित करना उचित होगा ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अभियुक्त-अपीलार्थी और मृतक के बीच धन के लेन-देन के संबंध में कहासुनी हुई थी और फिर अभियुक्त उससे झगड़ने लगा । अभियुक्त ने मृतक को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उसके उदर पर खड़ा हो गया । घटना के अगले दिन मृतक के उदर में तीव्र पीड़ा होने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया । उपचार के दौरान घटना के तीन दिन पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड

संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराने के पश्चात् अभियुक्त को आजीवन कारावास का दंडादेश दिया । उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा इसकी पुष्टि की गई । अभियुक्त-अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार तारीख 8 अगस्त, 2006 को लगभग 6.30 बजे अपराह्न में जब मृतक अपने पड़ोसी के मकान में था, उसी समय धन के संबंध में अभियुक्त और मृतक के बीच कहा-सुनी हुई और फिर अभियुक्त उससे झगड़ने लगा । अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार, अभियुक्त ने उसको धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उसके उदर पर खड़ा हो गया जिसके परिणामस्वरूप उसे आंतरिक क्षतियां पहुंची । इस प्रक्रम पर, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अगले दिन अर्थात् 9 अगस्त, 2006 तक मृतक को अस्पताल भी नहीं ले जाया गया था और तारीख 9 अगस्त, 2006 को लगभग 6.30 बजे अपराह्न में ही अर्थात् घटना के एक दिन के पश्चात् मृतक को अस्पताल ले जाया गया था । इसलिए, यह देखा जा सकता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त का मृतक को धक्का देकर नीचे गिराने और उसके उदर पर खड़ा हो जाने का कार्य मृतक और अभियुक्त के बीच झगड़ा होने का परिणाम था । अभिलेख पर के साक्ष्य से और यहां तक कि अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार भी यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से ऐसे कार्य का आशय मृत्यु कारित करने या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का था जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृतक की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी । यहां तक कि यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड 3 के अधीन भी नहीं आएगा । इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त की ओर से मृतक को ऐसी शारींरिक क्षति कारित करने का कोई आशय था और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय था, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी । ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त का कोई पूर्व-चिंतन था । अभियोजन पक्ष के ज्यों-के-त्यों पक्षकथन पर

विचार करते हुए और जैसाकि इसमें ऊपर यह मत व्यक्त किया गया है, धन के संबंध में अचानक झगड़ा हुआ था और अभियुक्त ने मृतक को धक्का दिया तथा आवेश की तीव्रता में अचानक हुई लड़ाई में उसके उदर पर खड़ा हो गया । इसलिए यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद-4 के अंतर्गत आएगा । भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद-4 के स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसी दशाओं में यह तत्वहीन है कि कौन पक्ष प्रकोपन देता है या पहले हमला करता है । अत: दोनों निचले न्यायालयों ने अपीलार्थी-अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित करके तात्विक गलती की है । न्यायालय के अनुसार, अधिक-से-अधिक यह कहा जा सकता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304-I के अधीन अपराध कारित किया था । (पैरा 8 और 9)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2016]	(2016) 3 एस. सी. सी. 62 : **संजय** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ।	5, 6.1, 10

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2021 की दांडिक अपील सं. 121.

2009 की दांडिक अपील सं. 38 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के तारीख 27 जनवरी, 2014 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री ऋषि मल्होत्रा

प्रत्यर्थी की ओर से श्री राजेश पांडेय और सुश्री अस्वाति एम. के.

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने दिया ।

न्या. शाह – अपीलार्थी-मूल अभियुक्त ने 2009 की दांडिक अपील सं. 38 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा तारीख 27 जनवरी, 2014 को पारित उस आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित

और असंतुष्ट होकर यह अपील फाइल की है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-मूल अभियुक्त द्वारा फाइल की गई उक्त अपील खारिज कर दी थी और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए पारित उस दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश की पुष्टि की थी जिसके द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त को आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था ।

2. प्रारंभ में, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि इस न्यायालय ने तारीख 8 जनवरी, 2021 के आदेश द्वारा एक सीमित सूचना इस बात तक सीमित करते हुए जारी की थी क्या दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-I में परिवर्तित किया जाना चाहिए । इसलिए, यह अपील इस विवाद्यक तक सीमित है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-I में परिवर्तित किया जाना चाहिए या नहीं ।

3. पूर्वोक्त विवाद्यक/प्रश्न का विनिश्चय करते हुए, अभियोजन के पक्षकथन पर और उस रीति पर विचार किया जाना आवश्यक है जिस रीति में घटना घटी थी । अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक तारीख 8 अगस्त, 2006 को लगभग 6.30 बजे अपराह्न में अपने पड़ोसी दीवान के मकान में था । उसी समय अभियुक्त की उससे धन के संबंध में कहा-सुनी हुई थी और फिर अभियुक्त उसके साथ झगड़ने लगा । अभियुक्त ने उसे नीचे गिरा दिया और उसके उदर पर खड़ा हो गया और रौंद डाला । अगले दिन अर्थात् 9 अगस्त, 2006 को लगभग 6.30 बजे अपराह्न में चन्नू राम नामक व्यक्ति के पुत्र ने मंकू की बहिन मंकी को मंके के पेट में तीव्र पीड़ा होने के संबंध में सूचित किया । मृतक की बहिन मंकी अपने मकान पर आई और उसकी हालत देखकर उसे उपचार के लिए एन. एम. डी. सी. अपोलो सेंट्रल अस्पताल, बचेली में भर्ती कराया । तारीख 9 अगस्त, 2006 की रात्रि में ही उसे उपचार के लिए महारानी अस्पताल, जगदलपुर में रेफर किया गया । उपचार के दौरान तारीख 11 अगस्त, 2006 को मंकू राम की मृत्यु हो गई । डा. (श्रीमती)

जे. गुप्ता द्वारा की गई मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट में मृतक मंकू राम की मृत्यु का कारण छोटी आंत में क्षतियों से कारित रक्तविषायन के परिणामस्वरूप पहुंचा सदमा था ।

4. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में इस बात पर विचार किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त ने कथित रूप से क्या अपराध किया था । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह मत व्यक्त करते हुए और यह निष्कर्ष निकालते हुए कि यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत आएगा और अभियुक्त द्वारा की गई मंकू राम की हत्या का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के चतुर्थ अपवाद के अधीन नहीं आता है, अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया । तद्नुसार, विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराने के पश्चात् अभियुक्त को आजीवन कारावास का दंडादेश दिया । उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा इसकी पुष्टि की गई ।

5. अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि प्रस्तुत मामले में घटना तारीख 8 अगस्त, 2006 को घटी थी । अभियुक्त और मृतक के बीच अचानक झगड़ा हुआ था और अभियुक्त ने मृतक को धक्का दिया और उसके उदर पर बैठ गया । यह दलील दी गई कि मृतक की मृत्यु कारित करने का अभियुक्त का कोई आशय नहीं था । यह दलील दी गई कि यद्यपि घटना तारीख 8 अगस्त, 2006 को लगभग 6.30 बजे अपराह्न में घटी थी, तो भी मृतक को अगले दिन अर्थात् तारीख 9 अगस्त, 2006 को लगभग 6.30 बजे अपराह्न में अस्पताल ले जाया गया था । यह दलील दी गई कि उसके पश्चात् दो दिन के बाद रक्तविषायन के कारण मृतक की मृत्यु हुई थी । यह दलील दी गई कि अत: यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के चतुर्थ अपवाद के अधीन आएगा और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया था । यह दलील दी गई कि अभियुक्त को अधिक से अधिक भारतीय दंड संहिता

की धारा 304-I के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है । यह दलील दी गई कि अभियुक्त ने पहले ही 14.5 वर्ष का वास्तविक कारावास भुगत लिया है ।

5.1 उपरोक्त दलील देते हुए और **संजय** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेने के उपरांत अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 से भारतीय दंड संहिता की धारा 304-I में परिवर्तित करने की प्रार्थना की गई ।

6. प्रत्यर्थी-छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा इस अपील का विरोध किया गया । प्रस्तुत मामले में जोरदार रूप से यह दलील दी गई कि मृतक की मृत्यु अस्पताल में उपचार लेते समय और घटना घटने के तीन दिन के भीतर हुई थी । यह दलील दी गई कि यह बात सही हो सकती है कि चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार मृतक की मृत्यु छोटी आंत में पहुंची क्षतियों से रक्तविषायन के कारण हुई थी । यह दलील दी गई कि तथापि, उस डाक्टर के प्रकथन पर, जिसने आरंभ में मृतक का उपचार किया था और उसके पश्चात् उस डाक्टर के प्रकथन पर, जिसने मरणोत्तर परीक्षा की थी, समग्र रूप से विचार किया जाना चाहिए । यह दलील दी गई कि प्रस्तुत मामले में डा. (श्रीमती) जे. गुप्ता (अभि. सा. 3) ने यह राय व्यक्त की थी कि मृतक को उदर में क्षतियां रौंदने से कारित हुई थीं । यह दलील दी गई कि इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय ने ठीक ही यह मत व्यक्त किया था और यह अभिनिर्धारित किया था कि अभियुक्त द्वारा कारित की गई मंकू राम की हत्या भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के चतुर्थ अपवाद के अंतर्गत नहीं आती है । यह दलील दी गई कि यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड ¾ के अंतर्गत आएगा । यह दलील दी गई कि अत: विद्वान् विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करके कोई गलती नहीं की थी ।

6.1 यह दलील दी गई कि इसलिए मामले के तथ्यों और

---

[1] (2016) 3 एस. सी. सी. 62.

परिस्थितियों में, अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा अवलंब लिए गए **संजय** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय का विनिश्चय लागू नहीं होगा/या अभियुक्त की ज्यादा सहायता नहीं करेगा ।

6.2 उपरोक्त दलीले देते हुए इस अपील को खारिज करने की प्रार्थना की गई ।

7. हमने संबंधित पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को विस्तारपूर्वक सुना । जैसा कि इसमें ऊपर मत व्यक्त किया गया है, एकमात्र प्रश्न जो इस न्यायालय के समक्ष उठता है, यह है कि क्या इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त ने मृतक की हत्या भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अधीन परिभाषित अनुसार की थी और इसलिए क्या दोनों निचले न्यायालयों ने अभियुक्त को ठीक ही भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया था या क्या दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-I में परिवर्तित किया जा सकता है ।

7.1 पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए, आपराधिक मानव वध को कब हत्या कहा जा सकता है और कब आपराधिक मानव वध हत्या की कोटि में नहीं आता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 300 को निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है, जो कि निम्न प्रकार से है :-

> "**300. हत्या** – एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा
>
> **दूसरा** – यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गई है, अथवा
>
> **तीसरा** – यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिसके

कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा

चौथा – यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे ।

अपवाद 1– आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है – आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्म-संयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति, की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था, मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की, मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे ।

ऊपर का अपवाद निम्नलिखित परन्तुकों के अध्यधीन है –

पहला – यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में इप्सित न हो या स्वेच्छया प्रकोपित न हो ।

दूसरा – यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो ।

तीसरा – यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो ।

स्पष्टीकरण – प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है ।

अपवाद 2 – आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि

अपराधी, शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावपूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे, और पूर्वचिंतन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि करना आवश्यक हो उससे अधिक अपहानि करने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा हो ।

अपवाद 3 – आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए, या ऐसे लोक सेवक को मदद देते हुए, जो लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा है, उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए, और कोई ऐसा कार्य करके जिसे वह विधिपूर्ण और ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए आवश्यक होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करता है, और उस व्यक्ति के प्रति, जिसकी कि मृत्यु कारित की गई है, वैमनस्य के बिना मृत्यु कारित करे ।

अपवाद 4 – आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्वचिन्तन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो ।

स्पष्टीकरण – ऐसी दशाओं में यह तत्वहीन है कि कौन पक्ष प्रकोपन देता है या पहला हमला करता है ।

अपवाद 5 – आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि व्यक्ति जिसकी मृत्यु वह कारित की जाए, अठारह वर्ष से अधिक आयु का होते हुए, अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे, या मृत्यु का जोखिम उठाए ।"

भारतीय दंड संहिता की धारा 300 दो भागों में है । प्रथम भाग वह है कि कब आपराधिक मानव वध को हत्या कहा जा सकता है और द्वितीय भाग उन अपवादों का है कि कब

आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है । हमारे प्रयोजन के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 300 का सुसंगत भाग धारा 300 का खंड 4 और भारतीय दंड संहिता की धारा 300 का अपवाद 4 होगा । भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड 4 के अनुसार यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने का जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे, ऐसे मानव वध को हत्या कहा जा सकता है । तथापि, धारा 300 के अपवाद-4 के अनुसार, मानव वध हत्या नहीं है, यदि मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व-चिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना, किया गया हो । भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद-4 के स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसी दशाओं में यह तत्वहीन है कि कौन पक्ष प्रकोपन देता है या पहले हमला करता है ।

8. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हैं । यहां तक कि अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार तारीख 8 अगस्त, 2006 को लगभग 6.30 बजे अपराह्न में जब मृतक अपने पड़ोसी के मकान में था, उसी समय धन के संबंध में अभियुक्त और मृतक के बीच कहा-सुनी हुई और फिर अभियुक्त उससे झगड़ने लगा । अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार, अभियुक्त ने उसको धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उसके उदर पर खड़ा हो गया जिसके परिणामस्वरूप उसे आंतरिक क्षतियां पहुंची ।

इस प्रक्रम पर, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अगले दिन अर्थात् 9 अगस्त, 2006 तक मृतक को अस्पताल भी नहीं ले जाया गया था और तारीख 9 अगस्त, 2006 को लगभग 6.30 बजे अपराह्न में ही अर्थात् घटना के एक दिन के पश्चात् मृतक को अस्पताल ले जाया गया था । इसलिए, यह देखा जा सकता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त का मृतक

को धक्का देकर नीचे गिराने और उसके उदर पर खड़ा हो जाने का कार्य मृतक और अभियुक्त के बीच झगड़ा होने का परिणाम था । अभिलेख पर के साक्ष्य से और यहां तक कि अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार भी यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से ऐसे कार्य का आशय मृत्यु कारित करने या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का था जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृतक की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी । यहां तक कि यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड 3 के अधीन भी नहीं आएगा । इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त की ओर से मृतक को ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का कोई आशय था और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय था, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी ।

9. ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त का कोई पूर्व-चिंतन था । अभियोजन पक्ष के ज्यों-के-त्यों पक्षकथन पर विचार करते हुए और जैसाकि इसमें ऊपर यह मत व्यक्त किया गया है, धन के संबंध में अचानक झगड़ा हुआ था और अभियुक्त ने मृतक को धक्का दिया तथा आवेश की तीव्रता में अचानक हुई लड़ाई में उसके उदर पर खड़ा हो गया । इसलिए यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद-4 के अंतर्गत आएगा । भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद-4 के स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसी दशाओं में यह तत्वहीन है कि कौन पक्ष प्रकोपन देता है या पहले हमला करता है । अत: दोनों निचले न्यायालयों ने अपीलार्थी-अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित करके तात्विक गलती की है । हमारे अनुसार, अधिक-से-अधिक यह कहा जा सकता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304-I के अधीन अपराध कारित किया था ।

10. अब जहां तक अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा **संजय** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय के लिए गए अवलंब का संबंध है, उक्त विनिश्चय पर विचार करते हुए हमारी यह राय है कि इस मामले के

तथ्यों पर और परिस्थितियों में उक्त विनिश्चय प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा । उक्त मामले में, रक्तविषायन के कारण मृत्यु घटना के 62 दिनों के पश्चात् हुई थी । इसी बीच, मृतक को सही हालत में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और वह 62 दिन तक जीवित रहा था । इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतक 62 दिनों तक जीवित रहा था और जब उसे अस्पताल से छुट्टी दी गई थी तब उसकी हालत स्थिर थी, इसलिए इस न्यायालय की यह राय थी कि न्यायालय यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है कि कारित की गई आशयित क्षति मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त थी जिससे भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के भाग-3 को लागू किया जा सके । उसके पश्चात् तथ्यों के आधार पर इस न्यायालय ने दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 से भारतीय दंड संहिता की धारा 304-I में उपांतरित कर दिया और अभियुक्त को दस वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । इस न्यायालय द्वारा उक्त विनिश्चय में अधिकथित कतई विधि की ऐसी कोई प्रतिपादना नहीं है कि ऐसे किसी भी मामले में जहां मृतक की मृत्यु रक्तविषायन के कारण हो जाती है वहां मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 304-I अंतर्गत आएगा । प्रस्तुत मामले में, यद्यपि मृतक की मृत्यु रक्तविषायन के कारण हुई थी, तथापि, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि उसकी मृत्यु अस्पताल में उपचार कराने के दौरान हुई थी और यह भी कि उसकी मृत्यु घटना घटने की तारीख से तीन दिनों के भीतर हुई थी । इसलिए, तथ्यों के आधार पर, उक्त विनिश्चय लागू नहीं होगा । तथापि, साथ-ही-साथ यह उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है कि मृतक को 24 घंटे के पश्चात् अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके पश्चात् तीन दिनों के भीतर रक्तविषायन के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी । यदि उसे तत्काल उपचार दिया जाता तो परिणाम भिन्न हो सकता था । किसी भी दशा में, जैसा कि इसमें ऊपर मत व्यक्त किया गया है, अभियुक्त का कोई पूर्व-चिंतन नहीं था ; अभियुक्त कोई आयुध लिए हुए नहीं था ; झगड़ा अचानक आरंभ हुआ था और अभियुक्त ने मृतक को धक्का दिया था और उसके उदर पर खड़ा हो गया था और इसलिए, जैसाकि इसमें ऊपर मत व्यक्त किया गया है, यह मामला भारतीय दंड

संहिता की धारा 300 के अपवाद-4 के अंतर्गत आएगा और न तो धारा 300 का खंड 3 और न ही धारा 300 का खंड 4 लागू होगा । इसलिए, जैसाकि इसमें ऊपर मत व्यक्त किया गया है, अधिक-से-अधिक यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त ने भातरीय दंड संहिता की धारा 300-I के अधीन अपराध कारित किया था ।

11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और इसमें ऊपर उल्लिखित कारणों से, यह अपील भागत: सफल होती है । उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश के साथ-साथ विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए पारित किए गए निर्णय और आदेश को अपीलार्थी-अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-I के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करने और उसके द्वारा पहले ही भुगत ली गई अर्थात् 14.5 वर्ष की अवधि का दंडादेश देने की सीमा तक उपांतरित किया जाता है । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय और आदेश की, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, तद्द्वारा पुष्टि की जाती है ।

12. अपीलार्थी-अभियुक्त को, यदि उसकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो तो, तुरंत रिहा कर दिया जाए ।

अपील भागत: मंजूर की गई ।

जस.